उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: df@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 505/उपाकालि/निदे0(वित्त)–147 दिनांक– 02/04/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन कार्यहित में ज्ञाप संख्या 4966/प्र0नि0/उपाकालि/एम–20 दिनांक 21.09.2021 एवं ज्ञाप संख्या 1891/निदे0(परिचालन)/उपाकालि/एम–20 दिनांक 05.05.2022 के द्वारा प्राविधानित वित्तीय वर्ष 2025–26 से आपूर्ति एवं कार्यो के प्रस्ताव हेतु बजट कन्ट्रोल नम्बर आंवटित किये जाने हेतु निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है:–

1. क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये निर्धारित वित्तीय सीमा के आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दुओं हेतु "प्रत्येक प्रकरण में नियंत्रक अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त" निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:–

I. वित्तीय सीमा के आदेश 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 01 के अर्न्तगत कोटेशन के माध्यम से निर्गत होने वाले क्रय/कार्य आदेशों के लिये अधिकार:–

पदनाम	मद	वार्षिक वित्तीय सीमा (लाख रू0 में)
उपखण्ड अधिकारी	कार्य/क्रय आदेश	रू0 06.00
अधिशासी अभियन्ता	कार्य/क्रय आदेश	रू0 12.00

II. परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु प्रदत्त अधिकार:–

पदनाम	मद	वार्षिक वित्तीय सीमा (लाख रू0 में)
अधिशासी अभियन्ता	परिचालन एवं अनुरक्षण	रू0 05.00
	पूँजीगत व्यय/मद	रू0 10.00

उपरोक्त वित्तीय सीमा के लिये बजट कन्ट्रोल नं0 "FC/DF/O&M(Short name of Division/FY)" आंवटित माना जायेगा।
For Example- EDD(N) Dehradun- **"FC/DF/O&M/EDD(N)/2025-26"**

III. वित्तीय सीमा आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 3.4 के अनुरूप मानव क्षमता की उपलब्धता/मीटर रीडिंग/बिल वितरण/वाहन अनुबन्ध की निरन्तरता इत्यादि के कार्यो, मुख्य अभियन्ता के वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु बजट कन्ट्रोल नम्बर **"FC/DF/3.4 (Short name of Division/FY)"** स्वयं आंवटित माना जायेगा।

IV. वित्तीय सीमा आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्द्रु संख्या 8.2 के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता को विशेष आपातकालीन कार्यो के लिये निम्नलिखित वित्तीय सीमा निर्धारित है:–

अधिशासी अभियन्ता रू0 5.00 लाख वार्षिक सीमा

उपरोक्त हेतु बजट कन्ट्रोल नम्बर "FC/DF/8.2 (Short name of Division/ FY)" आंवटित माना जायेगा।

V. वित्तीय सीमा आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 9.1 में लेखन सामग्री इत्यादि हेतु उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता को निम्नानुसार वित्तीय सीमा निर्धारित है:–

उपखण्ड अधिकारी रू0 0.50 हजार वार्षिक
अधिशासी अभियन्ता रू0 6.50 लाख वार्षिक (समस्त प्रकरणों हेतु)

उपरोक्त हेतु बजट कन्ट्रोल नम्बर "FC/DF/Contingency (Short name of Division/FY)" आंवटित माना जायेगा।

VI. वित्तीय सीमा आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 9.2 में T&P प्रकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता को निम्नानुसार वित्तीय सीमा निर्धारित है:—

उपखण्ड अधिकारी	रू0 0.20 हजार वार्षिक
अधिशासी अभियन्ता	रू0 3.00 लाख वार्षिक (समस्त प्रकरणों हेतु)

उपरोक्त हेतु बजट कन्ट्रोल नम्बर "FC/DF/T&P(Short name of Division/FY)" आंवटित माना जायेगा।

नोट:—उपरोक्त वित्तीय सीमा के अंकेक्षण व आवश्यक अभिलेख सृजित/संकलित किये जाने व कराये जाने का उत्तरदायित्व खण्डीय अधिशासी अभियन्ता का होगा। उपरोक्त के अनुरूप नियंत्रक अधिकारी के पूर्वानुमोदन/उपभोग/क्रय/कार्य आदेश की संकलित त्रैमासिक सूचना निदेशक (वित्त) उपाकालि देहरादून को ई—मेल आई0डी0 df@upcl.org पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, जिससे आवश्यकता अनुरूप वित्तीय सीमा के उपभोग को संकलित किया जा सके।

2. क्षेत्रीय अधिकारियों यथा अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता के लिये निर्धारित वित्तीय सीमा (आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 02 को छोड़कर) के प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु आवश्यक बजट कन्ट्रोल नम्बर सम्बन्धित कार्यदायी/आपूर्ति प्राप्त खण्ड द्वारा पूर्व की भाँति निदेशक (वित्त) कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा।

3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (परिचालन, परियोजना, वित्त) स्तर से प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय सीमा आदेश संख्या 635 दिनांक 30.01.2021 के बिन्दु संख्या 02 तथा जमा मद के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु आवश्यक बजट कन्ट्रोल नम्बर सम्बन्धित कार्यदायी/आपूर्ति प्राप्त खण्ड द्वारा पूर्व की भाँति निदेशक (वित्त) स्तर से प्राप्त किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे एवं मुख्यालय से धन मॉग आवंटन के सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार बजट कन्ट्रोल नम्बर का संज्ञान लिया जाना आवश्यक होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 505/उपाकालि/निदे0(वित्त) — 147 तददिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. स्टाफ ऑफिसर स्तर—1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन/परियोजना) उपाकालि, वि.क्रॉ.वि.ग.सिं. ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि।
4. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त)/उपमहाप्रबन्धक (वित्त) उपाकालि।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि।
6. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी उपाकालि।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
8. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) उपाकालि, को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/4/25

(कमल शर्मा)
निदेशक (वित्त)